न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–शिवपुरी R 4113-III/14

रामस्वरूप पुत्र वंशीबाढई निवासी ग्राम मडरका (भदेरा) कृषक ग्राम नैनागढ़ तहसील बैराड जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.......अनावेदक

<u>न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 118/13–14 स्व.निग. में पारित आदेश दिनांक 27.05.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1. यहकि, ग्राम नैनागढ़ में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 182 रकवा 3.13 है0 भूमि का पट्टा भू–दान यज्ञ बोर्ड द्वारा कृषि कार्य हेतु हल्का पुत्र भगोला जाटव को किया गया था एवं उसके द्वारा पट्टा प्राप्ती के दिनांक से कब्जा प्राप्त कर भूमि पर कृषि कार्य प्रारंभ किया गया था।
2. यहकि, समय के रहते हुये पट्टा ग्रहिता हल्का पुत्र भगोला जाटव को उपरोक्त भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे। अतः उसका नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित किया गया था। चूंकि भूमि स्वामी हल्का के कोई संतान नहीं थी। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि का एक पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 25.05.1996 को वसीयतग्रहिता रामस्वरूप पुत्र वंशी (वर्तमान प्रकरण के आवेदक) के पक्ष में सम्पादित किया गया था।
3. यहकि, वसीयतग्रहिता द्वारा वसीयत प्राप्त होने के पश्चात् उपरोक्त भूमि पर आर्थिक व्यय् कर भूमि को कृषि उपयोगी बनाया गया है। तथा कृषि कार्य किया जा रहा है। इसी बीच तहसीलदार पोहरी को ग्राम पटवारी द्वारा एक प्रतिवेदन इस आशय से दिया गया। कि प्रश्नाधीन भूमि पटवारी अभिलेख में भूदान भू–स्वामी के रूप में पूर्व भूमि स्वामी हल्का के नाम दर्ज है। इस भूमि पर वर्तमान में रामस्वरूप पुत्र वंशी बाढ़ई का नाम दर्ज है। संबंधित भूमि का अन्तरण राजस्वरूप पुत्र वंशीबाढई को किया गया है। अन्तरण से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं ली गयी है। इसलिये

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–4113–तीन/2014 जिला–शिवपुरी

रामस्वरूप विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 118/2013–14/स्व.–निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27–05–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–08–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	